

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक:—प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0—33/2013—
सेवा में,

पटना, दिनांक —

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:— स्पेशल प्लान (बी0आर0जी0एफ0) अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में स्वीकृत परियोजना “Full Scale electrification of village in 11 districts (RGGVY)” के लिए 2013—14 में भारत सरकार से विमुक्त राशि 125.50 करोड़ (एक सौ पच्चीस करोड़ पचास लाख) रुपये के विरुद्ध शेष राशि 50.00 (पचास) लाख रुपये आवश्यकतानुसार नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को 25.00 (पच्चीस) लाख रुपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को 25.00 (पच्चीस) लाख रुपये पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत निवेश के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:— स्वीकृत।

बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजनाओं की कुल राशि 9210.75 करोड़ रुपये आकलित की गई है। योजना के अन्तर्गत 5 परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रस्तावित है जिसमें (1) विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण एवं वितरण के अवरोधों को दूर करने हेतु नॉर्थ बिहार में 935.27 करोड़ रुपये और साउथ बिहार में 968.86 करोड़ रुपये की योजना फेज—I, कुल 1904.13 करोड़ रुपये (2) विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण एवं वितरण के अवरोधों को दूर करने के लिए नॉर्थ बिहार में 2099.50 करोड़ रुपये और साउथ बिहार में 1938.50 करोड़ रुपये की योजना फेज—II कुल 4038.00 करोड़ रुपये, (3) बिहार में विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज—II विस्तार परियोजना 472.53 करोड़ रुपये, (4) बिहार में विद्युत संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज—III 1958.47 करोड़ रुपये (5) अतिरिक्त बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की एन0—1 की 291.84 करोड़ रुपये की योजना एवं (6) विद्युत मंत्रालय/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर0जी0जी0भी0वाई0 के अन्तर्गत) द्वारा स्वीकृत राज्य के 11 जिलों यथा अररिया, बाँका, भोजपुर, गया, किशनगंज, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास एवं सिवान के सभी गाँव, टोलों एवं वसावटों को पूर्णतः विद्युतीकरण की योजना जिसमें नॉर्थ बिहार के लिए 337.72 करोड़ रुपये और साउथ बिहार के लिए 499.90 करोड़ रुपये कुल 837.62 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2013—14, 2014—15, 2015—16 एवं 2016—17 में क्रमशः 2125.00 करोड़ रुपये, 3903.61 करोड़ रुपये, 1961.02 करोड़ रुपये, 1221.12 करोड़ रुपये, कुल 9502.59 करोड़ रुपये व्यय का आकलन किया गया है।

2. तदनुसार राज्य सरकार द्वारा बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि0 के अनुसंगी कम्पनियों की 9210.75 करोड़ रुपये (नौ हजार दो सौ दस करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) की परियोजनाओं की स्वीकृति एवं विभिन्न परियोजनाओं के अवयवों (Components) को आवश्यकतानुसार ऊर्जा विभाग द्वारा परिवर्तित करने की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2013—14 में बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत योजना उद्व्यय 2125.00 करोड़ रुपये के विरुद्ध बजट उपबंध के अधीन भारत सरकार द्वारा विमुक्ति के अनुरूप नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, एवं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को निवेश के रूप में पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत उपलब्ध कराने की स्वीकृति राज्यादेश संख्या 5150 दिनांक 07.11.2013 द्वारा प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की फेज—III के अधीन “एन—1 अनुपालन” की 291.84 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति राज्यादेश संख्या— 2820 दिनांक—04.08.2014 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

कृ०पृ०उ०

3. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि में से वित्तीय वर्ष 2016-17 तक कुल 4949.8 करोड़ रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागीय राज्यादेश संख्या-3281 दिनांक 01.11.2017 के द्वारा कुल 1872.00 करोड़ रुपये अर्थात् कुल राशि 6821.8 करोड़ रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 एवं बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराये गये हैं।
4. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.44(4)PF1/2013-614 दिनांक 23.08.2013 के द्वारा "Full Scale electrification of village in 11 districts (RGGVY)" के लिए 2013-14 में 125.50 करोड़ रुपये विमुक्त किया गया था लेकिन निकासी सिर्फ 125.00 करोड़ रुपये ही किया गया है।
5. उक्त आलोक में स्पेशल प्लान (बी0आर0जी0एफ0) अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में स्वीकृत परियोजना "Full Scale electrification of village in 11 districts (RGGVY)" के लिए 2013-14 में भारत सरकार से विमुक्त राशि 125.50 करोड़ (एक सौ पच्चीस करोड़ पचास लाख) रुपये के विरुद्ध शेष राशि 50.00 (पचास) लाख रुपये आवश्यकतानुसार नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को 25.00 (पच्चीस) लाख रुपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को 25.00 (पच्चीस) लाख रुपये पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत निवेश के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
6. 25.00 (पच्चीस लाख) रुपये बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, मांग सं0-10 उपशीर्ष-0209 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0 एफ0 (राज्य घटक)-(एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए) की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801051900209 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
25.00 (पच्चीस लाख) रुपये बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, मांग सं0-10 उपशीर्ष-0210 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0 एफ0 (राज्य घटक)-(एन0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए) की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801051900210 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
7. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से किया जायेगा।
8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र02/बि0स्टे0पा0(हो)कं0 लि0-33/2013 के पृष्ठ संख्या 56/टि0 पर दिनांक 08.10.2013 को प्राप्त है।
9. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से संचालित नहीं होगी बल्कि सीधे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

10. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं०लि०-३३/२०१३ के पृष्ठ संख्या-२३३/टि० पर दिनांक ०९.०२.२०१८ को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(प्रत्यय अमृत),

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-३३/२०१३

दिनांक

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-३३/२०१३

५९५

दिनांक १९/०२/२०१८

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।